प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय,उन्नाव।

सूचना

माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त परिपत्र सं0 14/प्रशासन–डी दिनॉकिंत 15.10.2022 के अनुसार सेवनिवृत्त कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो, उनकी रिक्त पदो के सापेक्ष पुर्ननियुक्ति की जानी है। जिस हेतु सेवानिवृत्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी तथा वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जातें है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा एक वर्ष की अवधि के लिये (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाये अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती न हो जाये) तक के लिये की जायेगी।

जिन सेवानिवृत्त कर्मचारीगण का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। वे कर्मचारी भी आवेदन कर सकतें है।

आवेदक को मिलने वाले अन्तिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि काटकर मानदेय के रूप में देय होगी।

आवेदक अपना आवेदन–पत्र दिनॉक 04.01.2025 की सॉय 04.30 बजे प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त करा सकतें है इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

सूचना समस्त अवकाश प्राप्त कर्मचारीगण के मध्य परिचालित करायी जावे। सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो। कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय,उन्नाव व माननीय उच्च न्यायालय की अधिकारिक बेवसाइट पर भी अपलोड कराये।

जिला सूचना अधिकारी,उन्नाव को निःशुल्क समाचार–पत्रो में प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित की जावे।

जनपद न्यायाधीश
उन्नाव।
10.12.2024

Copy forwarded to.....all computer
for information and necessary action

Chief Administrative Officer
Civil Court, Unnao
10.12.24

आवेदन पत्र का प्रारूप

नामः– ....

पिता का नामः– ....

फोटो चस्पा करें

माता का नामः–...

जन्मतिथिः–...

फोटोयुक्त पहचान पत्र(पहचान पत्र/आधार कार्ड व अन्य वैध पहचान पत्र)................................

सेवानिवृत्त होने की तिथिः–...

पदनाम जिससे सेवानिवृत्त हुआ है तथा स्थान.................

अस्थायी पताः–...

स्थायी पताः–...

मोबाईल नं0ः–..

ई0 मेलः–..

नोटः– पेंशन आदेश की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

घोषणा–पत्र

मैं.......................................पुत्र/पुत्री/पत्नी.......................................यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उक्त अंकित एवं संलग्न समस्त सूचनाएं मेरे/मेरी निजी जानकारी में सही/सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी जानकारी/तथ्य छुपाया नहीं गया है/गयी है और न ही मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित चल रहा है। यदि भविष्य में विभाग के संज्ञान में कोई प्रतिकूल जानकारी/तथ्य आता है तो विभाग द्वारा मेरा अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, जो भी कार्यवाही की जायेगी वह मुझे सर्वमान्य होगा/होगी।

दिनांकः–.....................................

स्थानः–.......................................

कर्मचारी के हस्ताक्षर